Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA
[Supply Revision No.-01/2026]

Bibi Kismati.....Revisionist.

Versus

The State of Bihar.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	13.5.2026	**आदेश** यह Supply पुनरीक्षण वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना के रिट याचिका सं. -7822/2024 में दिनांक-04.9.2024 को पारित आदेश के आलोक में न्यायालय, समाहर्त्ता, अररिया के आपूर्ति वाद सं.-261/2007-08 में दिनांक-12.2.2008 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षी की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है। दिनांक-04.5.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। पुनरीक्षणकर्त्ता का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। पुनरीक्षणकर्त्ता की ओर से Written Note of Argument दाखिल है। पुनरीक्षणकर्त्ता का कहना है कि वे जन वितरण प्रणाली विक्रेता हैं, जिसका अनुज्ञप्ति सं. -34A/2007 है। उनका कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी -सह- अनुज्ञापन पदाधिकारी, अररिया के द्वारा दिनांक 11.10.2007 को उनका चयन बिना आरक्षण रोस्टर का पालन किये तथा बिना जिला चयन समिति के अनुशंसा के आधार पर किये जाने संबंधी कारण पृच्छा की मांग की गई। जिसके आलोक में उनके स्तर से समर्पित स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं पाते हुए उनके अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। जो विधिसम्मत एवं न्यायोचित नहीं है। उनका यह भी कहना है कि निम्न न्यायालय के स्तर से आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें पूरा मौका नहीं दिया गया। विपक्षी राज्य द्वारा समर्पित Counter affidavit में यह अंकित किया गया है कि पुनरीक्षणकर्त्ता को वर्ष 2007 में PDS अनुज्ञप्ति सं.-34A/2007 निर्गत किया गया था। परन्तु जाँच के उपरान्त अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया को यह ज्ञात हुआ कि पुनरीक्षणकर्त्ता के मामले में PDS Act में निहित प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। जिसके कारण उनके दुकान को बंद कराते हुए उनके कारण पृच्छा की गई। पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के संतोषजनक नहीं रहने के आलोक में उनके PDS अनुज्ञप्ति सं.-34A/2007 को रद्द कर दिया गया। विपक्षी की ओर से इस वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि पूर्व में अनुमंडल पदाधिकारी -सह- अनुज्ञापन पदाधिकारी, अररिया के द्वारा कुल 137 रिक्ति के विरूद्ध कुल 329 व्यक्तियों के नाम से बिहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन किये बिना अनुज्ञप्ति निर्गत किया गया था। जिसे तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जिला चयन समिति की बैठक दिनांक 16.10.2007 में रद्द कर दिया गया।	

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया

	13.5.2026	सुनवाई में पुनरीक्षणकर्त्ता की ओर से अनुमंडल पदाधिकारी -सह- अनुज्ञापन पदाधिकारी, अररिया के द्वारा उनके PDS अनुज्ञप्ति सं.-34A/2007 को अवैध मानने संबंधी तथ्यों के संदर्भ में कोई Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है। अतः तदनुसार इस पुनरीक्षण वाद को खारिज किया जाता है। पुनरीक्षणकर्त्ता अपने Case को Establish करने में विफल रहे हैं। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय के भेजें। Raj K. 13/5/26. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। लेखापित एवं शुद्धित। Raj K. 13/5/26. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया	